



2026:AHC-LKO:20392

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 517/2026, अंतर्गत
धारा 482 भा० ना० सु० सं०

रीना सिंह

.....प्रार्थिनी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ और 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थिनी (गण) के अधिवक्ता : धनंजय कुमार त्रिपाठी, काजल

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शा० अ०

न्यायालय कक्ष संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 25/2025 भा.न्या.सं. की धारा 137(2), 127(2), 87, 64, 61(1) और लैं.अ.बा.सं.अधि. की धारा 3/4 , सम्बंधित थाना-रामगाँव, ज़िला-बहराइच के सम्बन्ध में दायर की गई है।
3. यह कहा गया है कि प्रार्थिनी निर्दोष है और अभियोजन पक्ष द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. यह कथन किया गया है कि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने, आपराधिक विविध अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या 1194/2025 – 'अनीता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य' – में दिनांक 09.09.2025 को पारित आदेश के माध्यम से, समान स्थिति वाली सह-अभियुक्त अनीता सिंह के अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया और उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया। उपर्युक्त अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र में दिनांक 09.09.2025 को पारित आदेश का उद्धरण यहाँ नीचे दिया गया है:-

1. मुकदमा अपराध संख्या- 25/2025, अंतर्गत धारा 137(2), 127(2), 87, 64, 61(1) भा०न्या०सं० तथा धारा 3/4 लै.अ.बा.सं.अधि. के अंतर्गत; सम्बंधित थाना - रामगाँव, जिला - बहराइच। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. को सुना गया।
2. प्रस्तावित आदेश के द्रष्टिगत, शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया गया है।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि सूचना देने वाले की नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, को सह-अभियुक्त अमर सिंह दिनांक- 17.01.2025 को सुबह लगभग 5:00 बजे बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
4. प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि भा०ना०सु०सं० की धारा 180 के तहत दिए गए अपने बयान में, पीड़िता ने वर्तमान प्रार्थिनी का नाम नहीं लिया था, जो कि सह-अभियुक्त अमर सिंह की सगी बहन है। यह निवेदन किया गया है कि केवल भा.ना.सु.सं. की धारा 183 के तहत दिए गए अपने बाद के बयान में ही पीड़िता ने अपने बयान में कुछ बातों की बढ़ोतरी की और पहली बार प्रार्थिनी का नाम लिया। प्रार्थिनी पर न तो बलात्कार का कोई विशिष्ट आरोप लगाया गया है, और न ही बलात्कार करने में सह-अभियुक्त की मदद करने का कोई आरोप है। उस पर लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं, जो केवल मारपीट और उसे बंधक बनाकर रखने से संबंधित हैं।



5. आगे यह तर्क दिया गया है कि जहाँ पीड़िता ने शुरू में अपने धारा 180 भा.ना.सु.सं. के बयान में यह आरोप लगाया था कि घटना हुज़ूरपुर में हुई थी, वहीं बाद में उसने अपने धारा 183 भा.ना.सु.सं. के बयान में घटना स्थल को बदलकर मल्हीपुर कर दिया। इसके अलावा, चिकित्सक के सामने दिए गए अपने बयान में, पीड़िता ने प्रार्थिनी का नाम नहीं लिया था। इसके बावजूद, उसके खिलाफ एक अंतिम आख्या दायर की गई, जिस पर संज्ञान लिया गया और विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा धारा 137(2), 127(2), 87, 64, और 61(1) भा०न्या०सं० के तहत समन जारी किए गए।

6. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि किसी भी तरह से, धारा 64 भा०न्या०सं० के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थिनी एक विवाहित महिला है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह मामला झूठा फंसाए जाने का है।

7. दूसरी ओर, विद्वान अ.शा.अ. ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष के मामले में, मारपीट और कैद में रखने के आरोप पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 180 और 183 भा०ना०सु०सं० के तहत भी दर्ज हैं।

8. मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद—जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि प्रार्थिनी को केवल तभी समन किया गया है जब विवेचक द्वारा उसके विरुद्ध दायर अंतिम आख्या पर संज्ञान लिया गया था—और यह पाते हुए कि प्रथम दृष्टया, भा०न्या०सं० की धारा 64 के साथ सपठित धारा 87 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, यह न्यायालय इस सुविचारित मत पर पहुँचा है कि प्रार्थिनी, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एन. सी.टी. दिल्ली) और अन्य*, (2020) 5 एस.सी.सी. 1 में प्रतिपादित विधि के आलोक में, अग्रिम जमानत की हकदार है; बशर्ते वह परीक्षण में सहयोग करे।

9. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्ता-प्रार्थिनी को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से बीस दिनों की अवधि के



भीतर परीक्षण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे। उसके आत्मसमर्पण करने पर, परीक्षण न्यायालय उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करेगा, बशर्ते वह परीक्षण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करे, तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

- (i) प्रार्थिनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को इस तरह से प्रेरित करने, धमकाने या कोई वादा करने से परहेज़ करेगी, जिससे वे व्यक्ति न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को उजागर करने से विमुख हो जाएं या जिससे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो;
- (ii) प्रार्थिनी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं करेगी;
- (iii) प्रार्थिनी अभियोजन पक्ष के किसी भी साक्षी को प्रभावित करने या डराने-धमकाने का प्रयास नहीं करेगी;
- (iv) प्रार्थिनी सभी नियत तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विशेष रूप से छूट न दी गई हो;
- (v) ऊपर बताई गई शर्तों का उल्लंघन होने पर, परीक्षण न्यायालय प्रार्थिनी को दी गई जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा;

कोई भी अन्य उचित प्रतिबंध/शर्त, जिन्हें परीक्षण न्यायालय सही और उचित समझे, लगाई जा सकती हैं।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थिनी को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ, परीक्षण न्यायाधीश को साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

11. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि एक अन्य सह-अभियुक्त अमर सिंह, जिनके विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं, को भी आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 7436/2025 में पारित



दिनांक 11.08.2025 के आदेश के तहत ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है।

6. यह कहा गया है कि उपरोक्त बातों, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाली सह-अभियुक्ता अनीता सिंह का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र पहले ही स्वीकार किया जा चुका है, वर्तमान प्रार्थिनी भी अग्रिम ज़मानत की हकदार है।
7. विद्वान अ.शा.अ. ने वर्तमान प्रार्थना पत्र का विरोध किया। तथापि, उन्होंने प्रार्थिनी के अधिवक्ता के उपर्युक्त कथनों पर कोई विवाद नहीं किया है।
8. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मेरा यह मत है कि उपर्युक्त तथ्य प्रार्थिनी को अग्रिम ज़मानत प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त मामला बनाते हैं।
9. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थिनी का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। यदि प्रार्थिनी-रीना सिंह को उपरोक्त मामले में गिरफ्तार किया जाता है, या वह संबंधित परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश होती हैं, तो उन्हें अग्रिम ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें एक निजी मुचलका और दो प्रतिभू (जिनमें से एक परिवार का सदस्य या करीबी रिश्तेदार होना चाहिए) पेश करने होंगे; ये प्रतिभू उतनी ही राशि के लिए ज़मानत देंगे, जिससे संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय संतुष्ट हो सकें। यह ज़मानत निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, और साथ ही उन अन्य शर्तों के भी अधीन होगी जो परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं:-
 - (i) कि प्रार्थिनी, जब भी आवश्यकता होगी, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगी;
 - (ii) कि प्रार्थिनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे;

(iii) कि प्रार्थिनी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगी।

(iv) कि प्रार्थिनी प्रत्येक नियत तिथि पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी गई हो; और

(v) कि प्रार्थिनी अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगी/उन्हें डराएगी-धमकाएगी नहीं।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

20 मार्च 2026

आरती/-